छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 159/2009</u>

1. श्री सयनदास, — *अपीलार्थी*
ग्राम+पो. — कांसा,
व्हाया — डभरा,
जिला —जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रतिअपीलार्थी*
कार्यालय— व्यवहार न्यायाधीश,
वर्ग—दो, डभरा,
जिला — जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 11 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सयनदास द्वारा सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यवहार न्यायालय, वर्ग—दो, डभरा, जिला—जांजगीर चाम्पा के समक्ष दिनांक 17.11.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। उस आवेदन में चाही जानकारी समयावधि में नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 04.09.2008 को प्रस्तुत की गई, जिस पर दिनांक 11.11.2008 को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर अपीलार्थी की अपील निरस्त की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रतिअपीलार्थी के न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की गई थी। प्रतिअपीलार्थी ने अपने तर्क में कहा कि उनके न्यायालय में प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु नकल अनुभाग संचालित है, उक्त अनुभाग से प्रमाणित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है। अतः एक व्यवस्था के अस्तित्व में होते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराना उचित प्रतीत नहीं होता। अपीलार्थी ने अपने तर्क में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है, अतः इस अधिनियम के अधीन जानकारी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3/ अपीलार्थी का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि न्यायालय में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्धारित नियमानुसार शुल्क देकर नकल अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है, अतः इस हेतु न्यायालय अर्थात् प्रतिअपीलार्थी द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप अपीलार्थी को नकल अनुभाग से प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहिए। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2008 की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त